प्रेसनोट

पिथौरागढ़–16.09.13(सूवि),

आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों हेतु टीएचआर एवं कुक्ड फूड की विकन्द्रित व्यवस्था के अंतर्गत जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं उनके सर्वागीर्ण विकास– शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक एवं मातृत्व देखभाल को प्रोत्साहित करना है। 12 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इस कार्यक्रम को मिशन के रूप में लागू किया जाना है और इसमें कई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के हवाले से जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया है कि इस योजना से बच्चों में यथाशीघ्र अल्पपोषण से बचाव एवं उसकी दर कम करना, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास एर विशेष ध्यान देना, परिवारों एवं समुदायों तक पहुंच बनाना, सामूहिक प्रयास द्वारा अनुरक्षित एवं जोखिम श्रेणी के समुदायों तक सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक परिवर्तन हेतु महिलाओं व बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहन देना, उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस कार्यक्रम का मुख्य घटक अनुपूरक पोषाहार योजना है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित मानक में प्रोटीन एवं एनर्जी की कमी को पूरा करते हुए अनूपूरक पोषाहार उपलब्ध कराना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमलता धौनी ने प्रमुख सचिव के हवाले से अवगत कराया कि प्रदेश में जनपद में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बालक व बालिकाओं के साथ गर्भवती महिलाओं को राशन का लाभ मिलेगा। टीएचआर व्यवस्था सुनिश्चित करने के मकसद से दो कार्ड जारी किये जायेंगे, प्रथम कार्ड माता समिति के लिए जारी किया जायेगा जिसका नाम 'मां राजराजेश्वरी अनुपूरक पोषाहार कार्ड' होगा, द्वितीय कार्ड व्यक्तिग लाभार्थी के लिए जारी किया जायेगा, जिसका नाम मां राजराजेश्वरी पोषण कार्ड होगा जिसे आईसीडीएस द्वारा तैयार किया जायेगा। जिस पर लाभार्थी, समिति का नाम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का जिक्र होगा। समेकित बाल विकास योजना के जरिये अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में तीन से छह साल तक के बच्चों को इंडिया मिक्स फूड जिसमें 75 प्रतिशत गेहूं तथा 25 प्रतिशत सोयाबीन का आटा सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ दिया जायेगा।

आदेशों के अनुसार छह माह से तीन साल के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं को हर माह टेक होम राशन में चार किलो गेहूं, दो किलो चावल व 1.25 किलोग्राम सोयाबीन या स्थानीय दालें दी जायेंगी। कुपोषित बच्चों को राशन के साथ ही विशेष पौष्टिक आहार फल आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केन्द्र पर फिक्स डे एप्रोच के आधार पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एवं प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल दिवस की तिथि का वार्षिक कैलेण्डर भी तैयार किया जायेगा और इस तिथि को एएनएम एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों का टीकारण करने के साथ बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं वजन लिया जायेगा साथ ही बच्चों को दो पैकेट ग्लूकोज बिस्कूल एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं को 250 ग्राम गुड़ अथवा स्थानीय फल, सूखे मेले, चौलाई के लड्डू, दूध, अंडा आदि पोषाहार वित्तीय सीमा के अंतर्गत दिये जायेंगे। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निर्देश दिये हैं कि योजना में वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न उच्च गुणवत्ता का हो और वितरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–16.09.13(सूवि),

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ जीबी बिष्ट ने सूचित किया है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 की धारा 17 (2) एवं (5) के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति की 27 सितम्बर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से जिला कार्यालय सभागार में आहूत की गई है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

पिथौरागढ़–16.09.13(सूवि),

खण्ड विकास अधिकारी कनालीछीना ने सूचित किया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक 23 सितम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से विकासखण्ड सभागार में आयोजित की जा रही है। उन्होंने सभी सदस्यों, अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में स्वयं उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

पिथौरागढ़–16.09.13(सूवि),

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद उसकी अधिक से अधिक जानकारी के सम्बन्ध में सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून से प्राप्त फोल्डर जिला सूचना कार्यालय एवं जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में प्राप्त हो गये हैं, जिन्हें कार्यालय समय पर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़—16.09.13(सूवि),

नोटिफाइड सेवाएं पंजिका में दर्ज करने के साथ आवेदनकर्ता को रसीद की एक प्रति उपलब्ध करायें और एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। उक्त निर्देश अपर जिलाधिकारी बीएल राणा ने जिला कार्यालय सभागार में 'सेवा के अधिकार' संबंधी बैठक में बोलते हुए संबंधित विभागों को दिये। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों हेतु अपने सुझाव भी उन्हें उपलब्ध करायें, जिससे सुझावों को शासन को अग्रसारित किया जा सके।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता को दिये जाने वाली सभी सुविधाएं, प्रमाण—पत्र निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध करायें और प्राप्ति और उपलब्ध कराये गये प्रमाण—पत्र प्रत्येक दशा में पंजिका में अंकित करें। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी प्रमाण—पत्र निर्धारित समय पर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराये जा रहे हैं और अभी तक जननी सुरक्षा के अन्तर्गत 755 केसों में से सभी को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

अधिशासी अभियंता जल संस्थान डीके मिश्रा ने अवगत कराया कि उनके विभाग में सेवा के अधिकार के अंतर्गत 2 सेवाएं नागरिकों को दी जानी है और अभी तक 542 आवेदनों के सापेक्ष सभी आवेदनकर्ताओं को सेवायें उपलब्ध करा दी गई हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गोविन्द राम ने बताया कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत उनके अधीन चार सेवायें हैं और सभी आवेदक को मांग आधारित सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत 7 सेवायें नागरिकों को दी जानी है अभी तक उपलब्ध करायी गयी सभी सेवाओं को पंजिका में दर्ज किया गया है।

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग द्वारा सेवा के अधिकार के अंतर्गत 4 सेवाएं दी जानी है जिन्हें नियमित रूप से जारी किया जा रहा है, लेकिन निदेशालय से प्राप्त शासनादेश के आधार पर वितरित की जाने वाली पेंशन आदि में एकरूपता न होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने अपने सुझाव और शासनादेश प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, सभी खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डीडीहाट, धारचूला व गंगोलीहाट को सेवा के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों को पंजिका में दर्ज कर आवेदक को रसीद भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के.के.वार्ष्णेय, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खीमा नंद जोशी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान डीके मिश्रा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।